न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 6/2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. महेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र भोमा जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा।
2. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 18.01.83 जिसके तहत अप्रार्थी नं. 1 को ग्राम गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं. 320 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया हैं।

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्राथी उपस्थित।
: श्री जितेन्द्र गंगावत अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:निर्णयः— दिनांकः 29.01.2021

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गादरवाडा गूजरान तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 320 किस्म गै. मु. नला नाकाबिल काश्त बंजड भूमि है। जो कि पशुओं को चराने के काम में आती है एवं ऐसी भूमि का कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन रूल्स की अवहेलना करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से बिना कोई जॉच किये व बिना उद्घोषणा जारी किये भूमि भूमि खसरा नम्बर 320 में से 3 बीघा भूमि का दिनांक 18.01.83 को अप्रार्थी सं. 1 के हक में आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन की दिनांक 30.05.2017 को प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 18.01.83 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि खसरा नं. 320 नाकाबिल काश्त बंजड भूमि है। कानूनन ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। खसरा नं. 320 नाले की भूमि है। जिसमे आज भी पशु चरते है। बरसात का पानी बहता है। एक ही व्यक्ति को तीन बार आवंटन किया गया है। प्रकरण अब्दुल रहमान का प्रकरण है। आवंटन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रत्येक प्रार्थना पत्र में लिखा है कि अप्रार्थी गरीब एवं भूमिहीन है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नहीं है। पूर्व में किये गये आवंटन को छिपाते हुए फाड करते हुए उक्त भूमि का आवंटन करवाया गया है। आवंटन की कार्यवाही पंचायत मुख्यालय पर होती है परन्तु एक भी आवंटन पंचायत मुख्यालय पर नहीं हुआ है। खसरा नं. 320 में भिन्न–भिन्न तारीखों को आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना कोई जॉच किये व बिना उद्घोषणा जारी किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि आवंटन किया है।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त आवंटन दीगर ग्राम पंचायत में किया गया है। जबकि आवंटन उसी ग्राम पंचायत या गांव में होना चाहिए था जिस गांव में भूमि स्थित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम स्वीकार किया जाकर आवंटन दिनांक 18.01.83 भूमि साबिका खसरा नं. 320 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम गादरवाडा गूजरान तहसील बसवा का आवंटन निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त आवंटनशुदा भूमि वस्तुतः बारानी चाही है। अप्रार्थी सं. 1 को किया गया आवंटन पूर्ण विधि प्रक्रिया अपनाकर विधिवत उद्घोषणा जारी करते हुए सभी नियमों को देखकर किया है। उक्त भूमि आवंटन योग्य सिवायचक भूमि थी एवं कही भी नदी नाले की जमीन नहीं है। जिस पर अप्रार्थी आवंटन से पूर्व से काबिज होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर दोनो फसले रबी व खरीफ की पैदा की जा रही है। उक्त भूमि गादरवाडा गूजरान में स्थित है एवं आवंटन भी ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान में ही किया गया है। प्रार्थी को आवंटन की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी एवं इतनी लम्बी अवधि पश्चात् आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं इसका कोई युक्ति युक्त कारण भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र झूंठा आधार बनाकर एवं झूंठे तथ्यों का वर्णन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना आवंटी द्वारा की जा रही है। अप्रार्थी ने लाखों रूपया खर्चा करके भूमि का विकास किया है एवं उसे काश्त योग्य बनाया है एवं पूर्ण रूप से आवंटनशुदा भूमि पर काबिज है एवं आवंटी का पूरा परिवार उक्त भूमि से की जाने वाली काश्त पर निर्भर है। उक्त आवंटन की कार्यवाही मजमे आम में समस्त कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए की गई है। उक्त भूमि में से अप्रार्थी ने कुछ भूमि का विक्रय दीगर व्यक्ति को भी कर दिया है तथा अपने हिस्से की भूमि आई सी आई सी आई बैंक शाखा दौसा के यहां रहन भी रखी गई है। जिसकी प्रार्थी को पूर्णतया जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थी ने उक्त बैंक व खरीद किये गये व्यक्ति को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी सूरत में आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी की भूमि से लगती हुई प्रार्थी की भूमि स्थित है जिसे प्रार्थी जबरन अतिक्रमण कर दबाने के लिये प्रयासरत रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 18.01.83 खारिज फरमाये जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन विधिवत रूप से उद्घोषणा जारी कर किया गया है। आवंटन हुए लगभग 38 वर्ष हो गये है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य, सबूत भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। आवंटी अप्रार्थी सं. 1 को खातेदारी मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है तथा आवंटन आदेश दिनांक 18.01.83 बहक मांगीलाल पुत्र भोमा जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गूजरान तहसील बसवा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल आवंटन अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official